न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/604

मिसल नम्बर– 71/2023

1.रशीद अहमद पुत्र स्व. खलील अहमद उम्र 67 वर्ष निवासी म.नं. बी 25 अनन्तपुरा केसर विहार कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.साहिबा खान पत्नी शोऐब अहमद उम्र 30 वर्ष

2.शोऐब अहमद पुत्र श्री रशीद अहमद उम्र 33 वर्ष निवासी म.नं. बी 25 अनन्तपुरा केसर विहार कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 9/4/25

उपस्थिति:–

1.श्री तौफिक अहमद अधिवक्ता प्रार्थी।

2.अप्रार्थीया नं0 1 स्वयं

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक खरीदशुदा एक मकान पैमाईश 25 गुणा 55 वर्गफुट वाके–बी–25, अनन्तपुरा, केसर विहार, कोटा (राज.) में स्थित हैं। जिसमें दो मंजिला मकान निर्मित हैं। जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर तीन कमरे, एक हॉल, किचन व लेट–बॉथ एवं प्रथम तल पर दो रूम लेट बॉथ–किचन निर्मित हैं। ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थी का पुत्र शोऐब अहमद एवं उसकी पत्नी साहिबा अर्थात अप्रार्थीया व उसके दोनों बच्चे आमिर एवं नवाज निवास करते हैं। प्रार्थी व उसकी पुत्री रूबिना खान द्वितीय तल पर निर्मित परिसर में निवास करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी के पुत्र शोऐब व अप्रार्थीया द्वारा प्रेम विवाह किया जिसके पश्चात मुस्लिम शरियत के अनुसार दिनांक 18.10.2013 को निकाह सम्पन्न करवाया गया। विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थीया आए दिन प्रार्थी व उसके पुत्र व पुत्री के साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं, पोशपोश गालियां देती हैं और प्रार्थी व उसके पुत्र–पुत्री को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती हैं। अप्रार्थीया पूर्व में प्रार्थी के पुत्र के विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं जिसमें पूर्व में अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी के साथ राजीनामा कर समझौता कर लिया था तथा प्रार्थी व उसके पुत्र से 15 लाख रुपये की अवैध राशि की मांग करती हैं तथा नहीं देने पर प्रार्थी व उसके पुत्र पुत्री को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती हैं और प्रार्थी पर मकान को उसके नाम करने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का दबाव बनाती हैं। अप्रार्थीया आए दिन मकान का परिसर जहां प्रार्थी व उसकी पुत्री निवास करते हैं, उस मकान का बाहर से ताला लगा देती हैं और प्रार्थी को बाहर निकलने नहीं देती हैं तथा गाली –गलौच कर प्रार्थी को अपशब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करती हैं तथा प्रार्थी के विरूद्ध झूठा छेड़छाड़ का मुकदमा लगाने को कहती हैं । अप्रार्थीया प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गालियां देती हैं जो पुत्रवधू के लिए शोभनीय नहीं होती हैं। अप्रार्थीया का चाल–चलन व चरित्र ठीक नहीं हैं जो कई लोगों से मोबाईल पर बातचीत करती हैं। जिसके मैसेज प्रार्थी के पूत्र को पता लगने पर अप्रार्थीया को कहा तो अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने का कथन किया गया, जिस पर प्रार्थी के पुत्र द्वारा अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अप्रार्थीया को अपने साथ रखने हेतु तैयार हो गया लेकिन अप्रार्थिया का व्यवहार दिन–ब –दिन प्रार्थी व उसके पुत्र –पुत्री के प्रति क्ररतापूर्ण होता जा रहा हैं तथा आए दिन प्रार्थी व उसके पुत्र–पुत्री को लड़ाई झगड़ा करने के लिए उकसाती हैं, जानबूझकर गलतियां करती हैं ताकि प्रार्थी व उसके पुत्र –पुत्री उससे लड़ाई करें, क्योंकि अप्रार्थीया द्वारा कई बार प्रार्थी के पुत्र को झूठे मुकदमें में पुनः पाबन्द करवा सके। अप्रार्थीया बार–बार प्राथी व उसके पुत्र–पुत्री को आत्महत्या करने की धमकी देती हैं और झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती हैं। अप्रार्थीया घर का कोई काम काज नहीं करती, केवल अपना काम करती हैं और स्वयं का खाना बनाकर सो जाती हैं। बच्चों व उसके पति का भी खाना नहीं बनाती हैं जिसके लिए प्रार्थी का पुत्र व उसके बच्चों को कई बार भूखे ही अपने काम व स्कूल पर जाना पड़ता। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी व उसके पुत्र –पुत्री को इतना अधिक प्रताड़ित किया जाता हैं कि मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर लें और उक्त मकान पर वह अकेली रह सकें। अप्रार्थीया से प्रार्थी व उसके पुत्र–पुत्री को पूर्ण जान–माल का खतरा बना हुआ हैं, वह कभी भी प्रार्थी व उसके पुत्र के साथ कोई अप्रिय वारदात कारित कर सकती हैं। इसी क्रम में दिनांक 13.09.2023 को अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी व उसके पुत्र– पुत्री को घर की कुण्डी लगाकर कमरों में ताला लगा दिया और मकान को अपना बताकर प्रार्थी व उसके पुत्र–पुत्री को मकान से बेदखल करने पर आमदा हैं और कहती हैं कि प्रार्थी यदि उक्त मकान को उसके नाम नहीं करेगा तो वह प्रार्थी व उसके पूत्र–पूत्री की जिन्दगी बर्बाद कर देगी और उन्हें जेल में सड़ा देगी। प्रार्थी की पुत्री जब उक्त कृत्यों का विडियो बनाने लगी तो अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थी की पूत्री से मोबाईल छीनकर तोड़ दिया। जिसकी कीमत 12,000/– रूपये थी। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थी को वृद्ध अवस्था में इतना असहाय कर दिया हैं। अब अप्रार्थीया के कृत्यों, धमकियों व गाली – गलौच से प्रार्थी का वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना दुश्वार हो गया है। इस कारण से प्रार्थी के पास न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं। तदर्थ यह प्रार्थना पत्र सम्मानीय–न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के मकान नं. बी–25, अनन्तपुरा, केसर विहार, कोटा (राज.) के ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित परिसर जिस पर अप्रार्थीया निवास करती हैं, से अप्रार्थीया को बेदखल किया जावें ताकि प्रार्थी व उसका परिवार मकान में शांतिपूर्ण निवास कर सकें तथा सुरक्षित रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। यदि अप्रार्थीया को उक्त परिसर से बेदखल नहीं किया गया तो प्रार्थी व उसके परिवार का जीवन संकटमय हो जायेगा।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीया 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण मे शोएब अहमद के साथ प्रार्थी ने (कुलिजन) दुरभिसंधि के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया है। शोएब अहमद के द्वारा बाद पारिवारिक न्यायालय के आदेश दिनांक 09–7–24 के भी अप्रार्थीया को व उसके बच्चों को कोई भरण पोषण राशि नहीं दी जाती है व जिसके कारण अप्रार्थीया के अबोध अव्यस्क बच्चे आमिर खान आयु 12 साल नवाज खान आयु 10 साल को शिक्षा से भी गत 5 साल से वंचित होना पड़ रहा है व अप्रार्थीया बमुश्किल झाडू पोचा कर जीवनयापन कर रही है प्रार्थना पत्र में वर्णित भवन बाबत प्रार्थी के हक में स्वामित्व बाबत कोई विधि के अनुरूप मान्य कोई भी दस्तावेज कभी भी निष्पादित नहीं किया गया है। उक्त वर्णित भवन जिस भूखण्ड पर निर्मित है, वह वास्तव में कब्जेशुदा भूखण्ड है तथा उक्त कब्जेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी के पति शोएब अहमद व प्राथी के द्वारा पुश्तैनी भवन जो कि वाके विज्ञान नगर कोटा में स्थित था, को विक्रय कर सम्पूर्ण निर्माण करवाया गथा था। अप्रार्थीया पूर्व में निकाह बाद पुश्तैनी भवन में निवास करती थी तथा पुश्तैनी भवन में निवास के दौरान ही अप्रार्थीया ने पुत्र आमिर को जन्म दिया था, उक्त वर्णित भवन में अप्रार्थीया अपने पति शोएब व बच्चों के साथ उक्त वर्णित भवन निर्माण के बाद काविज होकर निवास करने लगी थी उक्त भवन के प्रथम तल पर वास्तव में यथार्थ में वर्तमान में प्रार्थी और प्रार्थी की पुत्री रूबिना और रूबिना को शोहर शानू ब अप्रार्थीया का शोहर शोएब खान निवास करते है । अप्रार्थीया का प्रार्थी शोएब अहमद के साथ प्रेम प्रसंग के चलते अप्रार्थीया पर विधि विरूद्ध दबाव बनाकर अप्रार्थीया का धर्म परिवर्तन करवाकर प्रार्थीया का निकाह जो कि शोएब अहमद के साथ दिनांक 18–10–13 को हुआ था , वह अप्रार्थीया के द्वारा उक्त निकाह बाबत लोक लाज के भय से सहमति दी गई थी। प्रार्थी व अप्रार्थीया के पति शोएब अहमद के द्वारा अप्रार्थीया पर कई बार बर्बरतापूर्ण हमला किया गया है व जिसके कारण अप्रार्थीया को गम्भीर चोटें भी आई है जिसकी फोटो व विडियो भी अप्रार्थीया के पास है प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीया से कई बार अभद्र अश्लील रूप से गाली गलौच भी की गई है व अभद्र रूप से अप्रार्थीया को कई बार पकड़ा भी गया है। अनाधिकृत रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीया का शोहर अप्रार्थीया के निवास के परिसर में अप्रार्थीया की अनुपस्थिति में बलात प्रवेश करते है व जिसके कारण उनके द्वारा अप्रार्थीया के निवास स्थल का दरवाजा भी तोड दिया गया है व अप्रार्थीया की गैस की इत्यादि आवश्यक जरूरत के सामाने प्रार्थी ने अपने कब्जे में ले लिये है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भवन बाबत विधिक स्वामित्व का दस्तावेज विधि की मंशा के अनुरूप प्रार्थी के हक में निष्पादित नहीं किया गया होने से व अप्रार्थीया को कोई दस्तावेज की प्रति नहीं दिलाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र काबिज खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भवन बाबत एक सिविल वाद भी प्रार्थी ने दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है । उक्त परिस्थिति में प्रार्थना पत्र की मंशा के विपरीत होने से विधि की मंशा केस अनुरूप खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि उसे उसके निवास के परिसर से बेदखल नहीं किया जावे। उक्त परिस्थिति में प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाये जाने योग्य है। अप्रार्थीया की संतानों का उक्त भवन पुश्तैनी सम्पदा की ताहिद में आता है । उक्त परिस्थिति में स्वामित्व के शीर्षक बाबत सिविल न्यायालय के द्वारा घोषणा नहीं करवाये जाने के अभाव में प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाये जाने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौरानें बहस उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। अप्रार्थीया की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम 1 दक्षिण कोटा राज0 में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति, पारिवारिक न्यायालय कम 2 कोटा के आदेश दिनांक 09.07.2024 की प्रति पेश की है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम 1 दक्षिण कोटा राज0 में प्रार्थी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीया को उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के पीसफुली एनज्वाय में बाधा उत्पन्न नही करने, तोडफोड़ नही करने और ना ही किसी प्रकार का न्यूसेंस कारित करने हेतु डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीया को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने एवं प्रार्थी के पीसफुल एन्जायमेंट में कोई बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की ओर से समान अनुतोष हेतु पृथक पृथक न्यायालय में पृथक पृथक वाद पत्र एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे है। पृथक पृथक वाद पत्र एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाते है। अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायालयों की आदेशों की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक मतभेद चले आ रहे है जिस कारण से प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण (कुलिजन) दुरभिसंधि के तहत प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीया नं0 1 को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थी के साथ मारपीट , व अभद्र व्यवहार ना करे एवं प्रार्थी को मकान में शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनाक: 9/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा